कार्यवाही विवरण

मेसर्स जे.डी. स्टील इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, औद्योगिक विकास केन्द्र बोरई, ग्राम–रसमड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग (छ.ग.) में Expansion of Steel Plant-Expanstion of Induction Furnace unit (Hot Billets/MS Billets/Ingots from 29,200 TPA to 1,98,000 TPA), New Rolling Mill # 1 (TMT Bar, Patra, Wire Rod, CR Sheets, HR Sheets, Pipe Plant and Other Rerolled Products- 70% Hot charging and remaing 30% through RHF - 2,64,000 TPA), New Rolling Mill # 2 (Square Pipe & Round Pipe - 2,64,000 TPA), New Ferro Alloya Unit (1x10 MVA - FeSi - 7,700 TPA/ SiMn- 16,000 TPA/FeMn - 28,000 TPA/FeCr - 16,000 TPA), New Coal Gasifiers (Producer Gas - 1x5000 Nm^3/hr. & 1x16000 Nm ^{3}/hr.), New Briquetting unit (100 kg/hr) & New Slag Crushing Unit (50,000 TPA) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई हेतु दिनांक 20.04.2023 को समय दोपहर 12:00 बजे, स्थान–दशहरा मैदान, आदिवासी छात्रावास के पास, ग्राम–रसमड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेसर्स जे.डी. स्टील इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, औद्योगिक विकास केन्द्र बोरई, ग्राम–रसमड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग (छ.ग.) में Expansion of Steel Plant-Expanstion of Induction Furnace unit (Hot Billets/MS Billets/Ingots from 29,200 TPA to 1,98,000 TPA), New Rolling Mill # 1 (TMT Bar, Patra, Wire Rod, CR Sheets, HR Sheets, Pipe Plant and Other Rerolled Products- 70% Hot charging and remaing 30% through RHF - 2,64,000 TPA), New Rolling Mill # 2 (Square Pipe & Round Pipe - 2,64,000 TPA), New Ferro Alloya Unit (1x10 MVA - FeSi - 7,700 TPA/ SiMn- 16,000 TPA/FeMn - 28,000 TPA/FeCr - 16,000 TPA), New Coal Gasifiers (Producer Gas - 1x5000 Nm^3/hr. & 1x16000 Nm ^{3}/hr.), New Briquetting unit (100 kg/hr) & New Slag Crushing Unit (50,000 TPA) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत् परियोजना प्रस्तावक के आवेदन के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय समाचार पत्र द हिन्दू, नई दिल्ली दिनांक 17.03.2023 एवं दैनिक समाचार पत्र नवभारत, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ दिनांक 17.03.2023 में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 20.04.2023 को समय दोपहरः 12:00 बजे, स्थान–दशहरा मैदान, आदिवासी छात्रावास के पास, ग्राम–रसमड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय अधिकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़, कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–दुर्ग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला–दुर्ग, मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत रसमड़ा, जिला–दुर्ग, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण

संरक्षण मंडल पर्यावास भवन,सेक्टर–19 नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर में रखी गई थी। उक्त परियोजनाओं के संबंध में आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां लोक सुनवाई की सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कार्यालयीन समय में मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में कोई आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई है।

उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई निर्धारित तिथि दिनांक 20.04.2023 को दोपहर 12:55 बजे अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में स्थान–दशहरा मैदान, आदिवासी छात्रावास के पास, ग्राम–रसमड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तदोपरांत अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग द्वारा निर्धारित तिथि समय एवं स्थल पर लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तत्पश्चात् उक्त परियोजना की ओर से उद्योग प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री संजय सरादे द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित जनसमुदाय ने उक्त परियोजना के संबंध में अपना आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री मूलचंद सिंह, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ हमारे गांव में बहुत सारे फैक्ट्री चल रहे हैं। यहां पर्यावरण विभाग के लोग आये हैं। इस क्षेत्र में जितना प्रदूषण निर्धारित मानक के होना चाहिए उतना करवा दे। इस संबंध में मंत्री एवं कलेक्टर महोदय से मीटिंग होने की सूचना पेपर में पढ़ते हैं। लेकिन धरातल पर कार्य नही दिखता है। निवेदन है कि निर्धारित मानक के वायु मण्डल बना रहे। उद्योगों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ठ एवं फ्लाई ऐश आदि को तारपोलिन कव्हर्ड करके गांव की गली से निकाला जाये। इससे होने वाले समस्या से हमको निजात दिलाया जाये। हमको भी जिने का अधिकार है। पहले रोड की सफाई हो उसके बाद जल छिड़काव किया जाये। बैठक करने से उद्योग वाले नही सुधरने वाले हैं। हमारे गांव वालों ने उद्योगों के लिये जमीन देकर गलती नही की है। यहां उद्योग लगे तो हमे रोजगार मिलने चाहिए। यहां की समस्या हम झेलते हैं। परन्तु हमको

रोजगार नही मिलता है। कुछ कंपनी गांव के विकास के लिये कितना सहयोग किया है यह उद्योग को पूछा जाये।

2. **श्री नोहर देवांगन, ग्राम–नगपुरा, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं इस उद्योग का समर्थन करता हूं। उद्योग के 10 किलोमीटर क्षेत्र वालों को आसानी से रोजगार मिल जाता है।

3. **श्री राजमल देसाई, ग्राम–मुढ़ीपार, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मैं उद्योग का समर्थन करता हूं। यहां लोकल लोगों को भी काम मिलता है। हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं। यह बड़ा प्रोजेक्ट है इससे बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें बाहरी लोगों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा।

4. **श्री रूपेश साहू, ग्राम–बघेरा, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं कंपनी का समर्थन करता हूं। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। 5–6 किलोमीटर की दूरी पर कंपनी के होने से गांव वालों को रोजगार मिलेगा।

5. **श्री परमेश्वर साहू, ग्राम–बघेरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ नया प्लाण्ट खुलने से लोगों को रोजगार मिलेगा।

6. **श्री नन्दकुमार साहू, उप सरपंच, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ 2–4 माह पहले यहां पर चक्काजाम किया गया था। प्रदूषण के कारण आपके विभाग के द्वारा कितने उद्योगों को दण्डात्मक कार्यवाही की गई। अगर रसमड़ा वाले लोग कहेंगे कि प्लाण्ट नही लगे तो प्लाण्ट नही लगेगा क्या। पहले भी यहां 100 प्रतिशत विरोध के साथ जन सुनवाई हुआ था, फिर भी प्लाण्ट लगा। हम लोग पहले भी अपनी बात रखे थे। मैं इस प्लाण्ट का विरोध करता हूं।

7. **श्री केतन साहू, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ हम सभी ग्रामवासी इस प्लाण्ट का विरोध करते हैं।

8. **श्री बालकिशन निषाद, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं इस जन सुनवाई का विरोध करता हूं। अगर विरोध के बावजूद प्लाण्ट लगती है तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। यहां पहले भी जन सुनवाई का विरोध हुआ था, फिर भी प्लाण्ट लगा।

9. **श्री अजय वैष्णव, जनपद सदस्य, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ जनसुनवाई में सबको बोलने का अधिकार है। यहां आसपास के जन सदस्य को जनसुनवाई की कोई सूचना नही दी गई है। मेरा पंचायत खपरी है। उनको लोक सुनवाई की सूचना नही दी गई। यह प्लाण्ट कहां पर लग रहा है। यह प्लाण्ट बोरई में लग रहा है तो लोक सुनवाई रसमड़ा में न करके बोरई में किया जाये। मैं यह चाहता हूं कि रसमड़ा में अब कोई भी प्लाण्ट नही लगना चाहिए।

10. **श्रीमती पिरीत बाई सिन्हा, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ .मैं इस कंपनी का विरोध करती हूं।

11. **श्री देवेन्द्र कुमार प्रजापति, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ यहां विरोध के बावजूद अगर खुलेगा तो इससे बड़े आंदोलन करेंगे और हाईवे जाम करेंगे।

12. **श्री भरत चंद्राकर ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ यह प्लाण्ट नहीं लगना चाहिए।

13. **श्री संतोष निर्मलकर, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ विरोध। विरोध विरोध विरोध। यह प्लाण्ट नही लगना चाहिए।

14. **श्री शेर सिंह ठाकुर, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ मेरा बाप बहुत बड़ा कलाकार था। मुझे न्याय मिलना चाहिए।

15. **श्री सुखदेव वर्मा, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ इस क्षेत्र में एक एक किसान ने जमीन देकर उद्योग लगाया गया। लेकिन गांव वालों को कुछ नही दिया गया। प्लाण्ट में गांव वालों के आधार को देखकर रसमड़ा के निवासी होने पर काम नही दिया जाता है।

16. **श्रीमती निर्मला यादव, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ हमारे गांव में कंपनी खुला है। बच्चों को रोजगार नही दिया जाता है। काम 4 दिन मिलता है उसके बाद काम नही है बोलकर घर पर बिठा दिया जाता है। कंपनी वाले सरपंच, सचिव का नही सुनते हैं। गांव के नेता का नही सुनते हैं। मेरे बेटे को टापवर्थ कंपनी में 4 दिन काम दिया उसके बाद उसे काम से निकाल दिया गया। रसमड़ा का कोई इज्जत नही है। कंपनी वाले रसमड़ा वालों को गुण्डा बोलते हैं। अगर काम नही देंगे तो पेट के लिये क्या करेगा। मेरा बेटा इलेक्ट्रिशियन है। वह एक माह से घर में सो रहा है। हमारा साथ नही देने की वजह से हम लोग यहां पर कंपनी क्यों लगने देंगे। मेरे बेटे का बायोडाटा कंपनी में जमा है। अगर मेरे बेटे को काम नही मिलेगा तो कंपनी वाले का मैं कालर पकड़ने जा रही हूं।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग तथा क्षेत्रीय अधिकारी, भिलाई द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग तथा क्षेत्रीय अधिकारी, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उद्योग की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री महेश्वर रेड्डी, हैदराबाद द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :–

- इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण के नियंत्रण फ्यूम एक्सट्रेक्शन के साथ बैग फिल्टर लगाया जायेगा। उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/घनमीटर से कम होगा।
- चिमनी सीपीसीबी के मानको के अनुरूप होगा।
- 688 किलोलीटर प्रतिदिन जल सीएसआईडीसी से लिया जायेगा।
- उद्योग से निकलने वाले दूषित जल को उपचार उपरांत वृक्षारोपण एवं डस्ट सप्रेशन में किया जायेगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी।
- रोलिंग मिल से निकलने वाले मिल स्केल के पुर्नउपयोग किया जायेगा। शेष सभी अपशिष्ठ का नियमानुसार अपवहन किया जायेगा।
- कुल 15 एकड़ में से 5 एकड़ में वृक्षारोपण किया जायेगा।
- साथ ही लगभग 100 स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा। एप्राईजल कमेटी के अनुसार सीएसआर के मद तय की जायेगी।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 11 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणीयां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान कुल 16व्यक्तियों द्वारा मौखिक आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमुदाय में से कुल 16 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जनसमुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 02.10 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

Anjaspote
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

20/4/23
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
जिला–दुर्ग